दूरभाष –05278.245957
फैक्स –05278.248123

E-Mail ID : nssrmlau@gmail.com
Website : www.rmlau.ac.in

# राष्ट्रीय सेवा योजना
# डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0 / रा0से0यो0 / 2375 / 2022 दिनांक : 16, फरवरी, 2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रमाधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रात्रि दिवसीय शिविर अयोजित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्याः–27 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2022, दिनांक 08.02.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 में समस्त विश्वविद्यालय / मण्डल स्तर पर आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम में कोविड–19 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए रात्रि दिवसीय शिविर का आयोजन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में वर्तमान सत्र 2021–22 में कोविड–19 के बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए **विशेष शिविर कार्यक्रमों का दिन रात्रि आयोजन दिनांक 28.02.2022 से 30.03.2022 के मध्य** सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महाविद्यालयों द्वारा कैम्प के आयोजन के उपरान्त कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट (जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7X2=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (04 फोटो प्रति पृष्ठ) संलग्न होनी चाहिए तथा वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित) बाइडिंग करके इकाईवार शासन को ई–मेलsloup.nss@gmail.com, युवा कल्याण को ई–मेल nssrcluknow@yahoo.com एवं विश्वविद्यालय को ई–मेल nssrmlau@gmail.com, द्वारा ऑनलाइन भेजी जाय तथा रिपोर्ट की हार्डकापी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में **शिविर समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर सामान्य शिविर एवं विशेष शिविर की रिपोर्ट अलग–अलग इकाईवार** पत्र वाहक द्वारा प्रेषित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरान्त ही अगले वर्ष के लिए शासन द्वारा इकाई का आवंटन किया जायेगा। निर्धारित अवधि में सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान द्वारा सामान्य शिविर एवं विशेष शिविर की आख्या उपलब्ध न कराने की दशा में अगले सत्र में इकाई का आवंटन सम्भव नही होगा।

विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर के आयोजन की सूचना महाविद्यालय / संस्थान द्वारा शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में **कम से कम 07 दिन पूर्व स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक तथा ई–मेल** के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में पत्र के साथ संलग्न कर, निम्नलिखित को अवश्य प्रेषित की जाए। विश्वविद्यालय एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष शिविर के आयोजन की सूचना 07 दिन पूर्व उपलब्ध न कराने की दशा में आयोजित शिविर मान्य नहीं होगा तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। पत्र के साथ इकाईवार निम्न प्रपत्र को भी पूर्ण रूप से पूरित कर सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित अधिकारियों का पता एवं ई0मेल0 आई0डी0 निम्नवत् है–

i. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, विधान भवन, लखनऊ। ई–मेल आइडी–sloup.nss@gmail.com
ii. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय भवन आठवाँ तल, हाल नं0–1 सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ। ई–मेल आइडी– nssrclucknow@yahoo.com

iii. कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। ई–मेल आइडी–nssrmlau@gmail.com

iv. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

v. सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी।

vi. जिला नोडल अधिकारी/जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सम्बन्धित जिला।

## विशेष शिविर आयोजन की सूचना का प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र का नाम–
2. महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पालिटेक्निक कालेज/विश्वविद्यालय परिसर का नाम–
3. एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की तिथि–
4. विशेष शिविर आयोजन की तिथि–
5. प्राचार्य का नाम व मोबाइल नम्बर–
6. कार्यक्रम अधिकारी का नाम–
7. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल नं0/कांटेक्ट नं0–
8. कार्यक्रम अधिकारी – प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित
9. चयनित ग्राम का नाम–
10. स्वयं सेवकों के रूकने का स्थान व पता–
11. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती के ग्राम प्रधान/सभासद का नाम–
12. ग्राम प्रधान/सभासद के विशेष शिविर–हाँ/नहीं
13. चयनित ग्राम में एक दिवसीय सामान्य कार्यक्रम क अन्तर्गत सर्वेक्षण के आधार पर विशेष शिविर का प्रोजेक्ट–
14. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुचने का साध व दिशा मार्ग–

महत्वपूर्ण ई–मेल

उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, (राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ) sloup.nss@gmail.com
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, (राष्ट्रीय सेवा योजना) nssrclucknow@yahoo.com
कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, nssrmlau@gmail.com

नोट– 01 यूनिट हेतु केवल एक ग्राम चयनित किया जाय। गांव बड़ा हो अथवा छोटा अलग–अलग चयनित किया जाय। विशेष शिविर की सूचना में प्राचार्य एवं कार्यक्रमाधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर तथा चयनित ग्राम के प्रधान का नाम एवं उनका मोबइल नम्बर तथा कैम्प स्थल तक पहुंचने के लिए मार्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, कैम्प रजिस्टर इकाईवार बनेगा।

कार्यक्रमाधिकारी का हस्ताक्षर
इकाईवार
सील

प्राचार्य का हस्ताक्षर
सील

कैम्प रजिस्टर निम्नवत् बनेगा–
महाविद्यालय का नाम–

वर्ष– इकाई संख्या छात्र संख्या
विशेष शिविर तिथि–

| क्रमांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | कोड नं0 | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि में शासन द्वारा कोविड–19 के बचाव एवं सुरक्षा उपायों के साथ शिविर आयोजित करने, निर्धारित अवधि में सम्बन्धित को शिविर आयोजित करने की सूचना एवं शिविर सम्पन्न होने के पश्चात् निर्धारित अवधि (शिविर सम्पन्न होने के 15 दिन के अन्दर) में रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय्

संलग्नकः– यथोपरि।

कुलसचिव / कार्यक्रम समन्वयक

***प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–***

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. लखनऊ।
2. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवॉ तल, हाल नम्बर–1, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
3. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रा0से0यो0प्र0, विधान भवन, लखनऊ।
4. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच, गोण्डा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुलतानपुर एवं अमेठी।
6. जिला नोडल अधिकारी / जिला स्वीप कोआर्डिनेटर बहराइच, गोण्डा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुलतानपुर एवं अमेठी।
7. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉग–इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
9. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव को, वित्त अधिकारी / कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
10. पत्रावली।

कुलसचिव / कार्यक्रम समन्वयक

संख्या–27 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2022

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– उप शिक्षा निदेशक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

**उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग** **लखनऊः दिनांक 08 फरवरी, 2022**

विषय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष शिविर कार्यक्रम के आयोजन हेतु रात्रि–दिवसीय शिविर आयोजित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3 का के पत्र संख्या–202 /2022–सीएक्स–3 दिनांक– 5 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा–9 से उच्चतर यथा–कक्षा–9,10,11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइड लाइन्स यथा–मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक–07.02. 2022 से अग्रिम आदेश तक खुले रहेंगे।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 में समस्त विश्वविद्यालय / मण्डल स्तर पर आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम में कविड–19 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए रात्रि–दिवसीय शिविर का आयोजन किये जाने हेतु कोविड के परिप्रेक्ष्य में 07 दिन पूर्व सूचना शासन को ई–मेल आई0डी0–**sloup.nss@gmail.com** पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–यथोक्त।**

भवदीय,
(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

**संख्या– 27(1) / सत्तर–रा0से0यो0को0–2022,तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ ।

आज्ञा से,
(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।